



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2450]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2019/श्रावण 7, 1941

No. 2450]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2019/SHRAVANA 7 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

का.आ. 2691 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड(1) के उपबंधों के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड-(ii), तारीख 27 नवंबर, 2017 में प्रकाशित आदेश सं. का.आ. 3755(अ), तारीख 27 नवंबर, 2017 का और संशोधन करते हैं अर्थात् -

उक्त आदेश में,-

(क) पैरा 3 में, शब्दों "30 अक्तूबर, 2019" के शब्दों और अंकों के स्थान पर "30 नवंबर, 2019" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"9-क आयोग इस बात की भी परीक्षा करेगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो ऐसे तंत्र का किस प्रकार प्रचालन किया जा सकता है।"

(ग) पैरा 11 में, “30 अक्तूबर, 2019” के शब्दों और अंकों के स्थान पर “30 नवंबर, 2019” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

नई दिल्ली

तारीख: 29 जुलाई, 2019

ह./-

(राम नाथ कोविंद)

भारत के राष्ट्रपति

[फा. सं. 10(1)-बी(एस)/2016/खंड-III]

अरविन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-3, उप-खंड-(ii) में अधिसूचना सं. का.आ.3755(अ) तारीख 27 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए, अर्थात्:-

- (i) का.आ. 3802(अ) तारीख 4 दिसंबर, 2017;
- (ii) का.आ. 1964(अ) तारीख 17 मई, 2018;
- (iii) का.आ. 6142(अ) तारीख 12 दिसंबर, 2018;
- (iv) का.आ. 1040(अ) तारीख 27 फरवरी, 2019

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2019

S.O. 2691(E). —The following order made by the President is published for general information:-

ORDER

In pursuance of clause (1) of article 280 of the Constitution, read with the provisions contained in the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to further amend the order number S.O.3755 (E), dated the 27th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th November, 2017, namely:-

In the said order,-

- (a) in paragraph 3, for the words, figures and letters “the 30th day of October, 2019”, the words, figures and letters “the 30th day of November, 2019” shall be substituted;
- (b) after paragraph 9, the following paragraph shall be inserted, namely:-
“9A. The Commission shall also examine whether a separate mechanism for funding of defence and internal security ought to be set up, and if so, how such a mechanism could be operationalised.”;
- (c) in paragraph 11, for the words, figures and letters “the 30th day of October, 2019”, the words, figures and letters “the 30th day of November, 2019” shall be substituted.

New Delhi

Dated the 29th July, 2019

Sd./-

(RAM NATH KOVIND)

President of India

[F. No. 10 (1)-B(S)/2016/vol.III]

ARVIND SRIVASTAVA, Jt. Secy. (Budget)

Note: - The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.3755 (E), dated the 27th November, 2017 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

- (i) S. O. 3802(E), dated the 4th December, 2017;
- (ii) S. O. 1964(E), dated the 17th May, 2018;
- (iii) S. O. 6142(E), dated the 12th December, 2018;
- (iv) S. O. 1040(E), dated the 27th February, 2019.